उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

अधिसूचना
प्रकीर्ण

05 जुलाई, 2002 ई0

संख्या 850/का–2/2002–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों को छोड़कर राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव–

2. किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली का अधिप्रभावी प्रभाव होगा।

परिभाषा–

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(एक) किसी पद के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है;

(दो) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण–

4. (1) किसी व्यक्ति को–

(एक) जो सेवा में 30–06–1998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्ति किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस रूप में, निरन्तर सेवारत हो;

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो, और

(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; या

यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्त करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों में से एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता–क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्त आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भेजेगी।

नियुक्तियां–

5–नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 4 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियां उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा–

6–इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियां संगत सेवा नियमों के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेंगी।

ज्येष्ठता–

7. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

सेवा की समाप्ति–

8. ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपर्युक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम–4 के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 850/का–2/2002, dated July 05, 2002.

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

July 05, 2002

No. 850/का–2/2002–In exercise of the powers conferred by the provision of Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTARANCHAL REGULARISATION OF AD-HOC APPOINTMENTS (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2002

Short title and commencement–

1. (1) These rules shall be called the Uttaranchal Regularization of ad-hoc Appointments (on Posts outside the purview of the Public Service Commission) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to posts under the rule-making power of the Governor which are outside the purview of the Public Service Commission.

Overriding effect--

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definition--

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context-

(i) "Appointing authority" in relation to any post means the authority empowered to make appointments to such post;

(ii) "Governor" means the Governor of Uttaranchal.

Regularization of ad-hoc appointments--

4. (1) Any person who :--

(i) was directly appointed on ad-hoc basis before June 30, 1998 and is continuing in service as such on the date of commencement of these rules;

(ii) possessed requisite qualifications prescribed for regular appointment at the time of ad hoc appointment; and

(iii) has completed or as the case may be, after he has completed three years service as such, shall be considered for regular appointment in permanent or temporary vacancy, as may be available, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant rules or orders.

(2) In making regular appointments under these rules, reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

(3) For the purpose of sub-rule (1) the appointing authority shall constitute a Selection Committee.

(4) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, as determined from the date of order of appointment and if two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the said appointment order, the list shall be placed before the Selection Committee along with the character rolls and such other records of the candidates as may be considered necessary to assess their suitability.

Overriding effect--

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of the selected candidates, the names in the list being arranged in order of seniority, and forward it to the appointing authority.

(5) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of their records referred to in sub-rule (4).

Appointment--

5. The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rule (2) of Rule 4, make appointments from the list prepared under sub-rule (2) of Rule 4, make appointments from the list prepared under sub-rule (6) of the said rule in the order in which the names stand in the list.

Appointments be deemed to be under the relevant Service Rules etc.--

6. Appointment made under these rules shall be deemed to be under the relevant service rules or orders, if any.

Seniority--

7. (1) A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only from the date or order of appointment after selection in accordance with these rules and shall, in all cases, be placed below the persons appointed in accordance with the relevant service rules or as the case may be, the regular prescribed procedure, prior in the appointment of such person under these rules.

(2) If two or more persons are appointed together their seniority *inter se* shall be determined in the order of appointment.

Termination of the Service–

8. The services of a person appointed on ad hoc basis who is not found suitable or whose case is not covered by sub rule (1) of Rule 4 these rules, shall be terminated forthwith and, on such termination, he shall be entitled to receive one month's pay.

(ALOK KUMAR JAIN)
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–07–2002, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 2 कार्मिक/217–16–08–2002–1000 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।